

मध्य प्रदेश शासन
आदिम जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एक ०३-०१/२०१५/२५-२/१६४
प्रति,

भोपाल, दिनांक २९-१२-१९

आयुक्त
आदिवासी विकास
मध्यप्रदेश

विषय :- विभागीय १२३ विशिष्ट आवासीय विद्यालयों का संचालन मध्यप्रदेश स्पेशल एण्ड रेसीडेंसियल एकेडमिक सोसायटी(MPSARAS)को सौंपने बाबत।

मन्त्रि-परिषद आदेश आठठन क्रमांक १५ दिनांक २७ नवम्हर २०१९ के अनुमोदन अनुसार निम्नानुसार प्रशासनीय स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित "मध्यप्रदेश द्राघियल वेलफेयर रेसीडेंसियल एण्ड आक्षम एज्यूकेशनल इस्टिट्यूशन्स सोसायटी भोपाल" का नाम संशोधित कर "मध्यप्रदेश स्पेशल एण्ड रेसीडेंसियल एकेडमिक सोसायटी (MPSARAS) भोपाल" किया जाए।
2. परिशिष्ट "क" अनुसार १२३ विभागीय विशिष्ट संस्थाओं को मध्यप्रदेश स्पेशल एण्ड रेसीडेंसियल एकेडमिक सोसायटी (MPSARAS) के अधीन संचालित किया जाये।
3. सोसाइटी के परिशिष्ट "ख" अनुसार बायलोज की स्वीकृति दी जाती है।
4. उक्त १२३ शालाओं में से जो शालाये एकलव्य के उच्चत होगी, उन संस्थाओं भी राज्य मट से पोषित अध्ययन जरूर यात्रे अतिरिक्त विद्यार्थी के लिए भी एकलव्य विद्यालय की भाति प्रति विद्यार्थी रूपये ४७८६०/- (स्थापना छोड़कर) प्रतिवर्ष अनुदान स्वरूप दिया जाए।

5. सोसायटी को सचिलित करने के लिए वजट, अनुदान इत्यादि में विभाग के वजट में प्रावधानित किया जाएगा एवं अग्रिम स्वरूप प्रदाय किया जाएगा। यह वजट केवल राज्य न्द से प्राप्ति स्थारे/ विधार्थियों के उपयोग के लिए होगा।
6. राज्य त्तरीक सोसायटी बुद्धान्नम् में कुल 10 प्रकार के 28 पद प्रतिविवक्ति/आउटसोसिंग से भर जाएंगे, जिसका वित्तीय भार भारत सरकार से प्राप्त अनुदान से बहन किया जाएगा।
7. उक्त योजना पर होने वाला व्यवहार मांग संख्या 33 मुख्य शीर्ष 2225 अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण, 02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण, 277 शिक्षा 0102 अनुसूचित जनजाति उपयोजना(स्वास्थ्य), 0762 विशिष्ट आदासीय स्थानों अन्तर्गत विकल्पीय होना।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से,
तथा आदेशानुसार

(कृष्णा कुमार)
वित्तीय सलाहकार

म.प्र.शासन
आदिम जाति कल्याण विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक एफ 12-03/2019/25-2/ १६५ भोपाल, दिनांक ३१-१२-१९
प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, संशालय।
2. विज सचिव, जनजातीय मंत्रीजी, आदिम जाति कल्याण विभाग।
3. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, वित्त विभाग।
5. महालेखाकार (लेखा एवं हस्ताक्षर), उपम म.प्र. व्यालियर।
6. आयुक्त लोष एवं लेखा, पर्यावरण विभाग भोपाल।
7. सर्व सचिवित कलेक्टर भ०प्र०,

51	माणडला	कन्या शिक्षा परिसर, विलिया
52	मण्डला	कन्या शिक्षा परिसर, मोठगांव
53	मधडला	कन्या शिक्षा परिसर, वीजाहापडी
54	७योपुर	कन्या शिक्षा परिसर, ७योपुर
55	सताम	कन्या शिक्षा परिसर, सैतामा
56	सताम	कन्या शिक्षा परिसर, सताम
57	शहडोल	कन्या शिक्षा परिसर, शहडोल
58	शहडोल	कन्या शिक्षा परिसर, जैतपुर
59	शहडोल	कन्या शिक्षा परिसर, तुळार
60	<u>सिंगरौती</u>	<u>कन्या शिक्षा परिसर, सिंगरौती</u>
61	सिवनी	कन्या शिक्षा परिसर, कुरई
62	सिवनी	कन्या शिक्षा परिसर, सिवनी
63	सीधी	कन्या शिक्षा परिसर, सीधी
64	सीधी	कन्या शिक्षा परिसर, कुसगी
65	सीढोर	कन्या शिक्षा परिसर, सीढोर
66	दुरठा	कन्या शिक्षा परिसर, दुरठा
67	होशंगाबाद	कन्या शिक्षा परिसर, होशंगाबाद
68	शिवपुरी	कन्या शिक्षा परिसर, शिवपुरी
69	शसरेज	कन्या शिक्षा परिसर, शसरेज

2. आठर्शी आवासीय विद्यालय:-

क्र.	जिल्हा	आठर्शी आवासीय विद्यालय का नाम
1	झारखोज	आठर्शी उत्तरार माध्यमिक विद्यालय, झारखोज
2	खण्डवा	आठर्शी उत्तरार माध्यमिक विद्यालय, खण्डवा
3	होशंगाबाद	आठर्शी उत्तरार माध्यमिक विद्यालय, होशंगाबाद
4	वालाघाट	आठर्शी उत्तरार माध्यमिक विद्यालय, मलाजखण्ड
5	७योपुर	आठर्शी उत्तरार माध्यमिक विद्यालय, ७योपुर